न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./50/2022

नेकराम पुत्र मंगतू जाति गुर्जर निवासी ग्रांम कल्यानपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

ग्रांम वासियान ग्रांम कल्यानपुर तहसील व जिला भरतपुर प्रतिनिधि,

1– पवन कुमार पुत्र बादाम सिंह
2–इन्दल सिंह पुत्र हीरासिंह
3–जगन्नाथ पुत्र सोवरसिंह
4–सुरेश पुत्र दीपी
5–नरेश पुत्र बनयसिंह
6–जगवीर पुत्र मानसिह

} समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ग्रांम कल्यानपुर तहसील व जिला भरतपुर

7–भजनलाल पुत्र नत्थी जाति जाटव निवासी ग्रांम कल्यानपुर तहसील व जिला भरतपुर

.....असल अप्रार्थी0

8–कमल पुत्र मंगतू
9–शंकर पुत्र मंगतू
10–बिजेन्द्र पुत्र मंगतू

} जाति गुर्जर निवासी ग्रांम कल्यानपुर तहसील व जिला भरतपुर राज0

11–श्रीमती रुपनिया पत्नी मंगतू

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध न्यायालय उप जिला कलक्टर भरतपुर पीठासीन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह परमान व मुकदमें उनवानी ग्रांम वासियान ग्रांम कल्यानपुर जरियेक प्रतिनिधि बनाम मंगतू वगे0 दावा घोषणात्मक व हुक्म इम्तनाई दवामी।

निर्णय **दिनांक 22.11.2022**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण व खिलाफ पीठासीन अधिकारी एस.डी.एम. श्री देवेन्द्रसिंह परमार के इस आश्य का पेश किया गया है कि एक दावा जरिये प्रतिनिधि पवन कुमार वगे0 बनाम मंगतू वगे. एस.डी.ओ. न्यायालय भरतपुर में विचाराधीन है। प्रकरण दिनांक 5.5.2022 को आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जबाब में पत्रावली नियत थी, उस रोज पीठासीन अधिकारी न्याालय में 3 बजे आये थे, इससे पूर्व 2–4 प्रकरणों को छोडकर सभी प्रकरणों में तारीख पेशी दे दी गई थी। उक्त प्रकरण

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

में तारीख पेशी पीठासीन अधिकारी के आने के वाद ही चैम्वर में जाकर दिनांक 10.5.2022 दी गई थी जवकि प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कम से कम 10–15 दिन की देने की कहा था, जगन्नाथ व सुरेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के वरामदे में प्रार्थी को कहा कि तुम कितना भी जोर लगालो दावे का फैसला हमारे हक में ही होकर रहेगा क्यों कि विधायक जोगिन्दर सिंह अवाना से सिफारिस करा दी है व ग्रांम पंचायत सरंपच श्रीमती रेखा के पति नीरसिंह जो राजस्थान पुलिस में सिपाही के पद पर पदस्थापित है वह पीठासीन अधिकारी से मिल लिया है और हमारी सीधी वातचीत हो गई हे। उक्त वातों को सुनकर प्रार्थी को वहुत गहरा आघात लगा है। अगर ऐसा भविष्य में हो गया तो प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण को अजीम नुकसान होगा क्योंकि आराजी खसरा नम्वर 279 में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण के रहवास हेतु मकान वने हुये है वाकी में खेती हो रही है। इसलिये उक्त प्रकरण की सुनवाई प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं करना चाहते हैं। प्रकरण किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाव शामिल पत्रावली किया गया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये वताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विना प्रार्थीगण को सुने प्रशासन गांव के संग अभियान में दावा डिग्री कर दिया गया। निर्णय डिग्री दिनांक 2.12.2021 के विरुद्ध प्रार्थी के द्वारा अपील आर.ए.ए. के न्यायालय में पेश की गई। न्यायालय आरएए ने अपील स्वीकार कर एसडीओ के निर्णय दिनांक 2.12.2022 को निरस्त कर प्रकरण रिमान्ड कर दिया गया । योग्य अभिभाषक का तर्क है कि आराजी खसरा नम्बर 279 साबिक खसरा नम्बर 215 की बाबत एक रेफरेन्स सोरनसिह पुत्र लोहरे ने प्रार्थी के पिता के विरुद्ध श्रीमान के यहॉ एक रेफरेन्स प्रस्तुत किया था जिसे श्रीमान ने दिनांक 14.2.2006 को आराजी को सार्वजनिक पोखर नहीं मानते हुये खारिज कर दिया गया था। अप्रार्थी0 की ओर से उसी आराजी को लेकर नियम विरुद्ध दावा किया गया है क्यों कि जब एक बार न्यायालय श्रीमान ने यह मान लिया कि विवादित आराजी पोखर की भूमि नहीं है तो उसी भूमि को लेकर उसी आधार पर नया वाद नहीं चल सकता है। अप्रार्थी जगन्नाथ व सुरेश प्रार्थी को कहा कि तुम कितना भी जोर लगालो दावे का फैसला हमारे हक में ही होकर रहेगा क्यों कि विधायक से सिफारिस करा दी है व पीठासीन अधिकारी से हमारी सीधी बातचीत हो गई हे। उक्त बातों को सुनकर प्रार्थी को बहुत गहरा आघात लगा है। अगर ऐसा भविष्य में हो गया तो

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थीगण को अजीम नुकसान होगा क्योंकि आराजी खसरा नम्बर 279 में प्रार्थी एवं तरतीवी अप्रार्थीगण के रहवास हेतु मकान बने हुये है बाकी में खेती हो रही है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि न्याय का सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना नहीं बल्कि होता हुआ भी दिखना चाहिये। पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ.भरतपुर से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर प्रकरण किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्को में जाहिर किया कि प्रार्थी. को किसी न कोई धमकी नहीं दी है। विधायक जोगेन्द्रसिंह अवाना व सरंपच पति नीरसिंह के बारे गलत बनावटी कथन किया गया। विवादित अराजी पोखर की आराजी है जिसमे सभी गांव वासिया की मवेशी पानी पीती है। तहत न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रार्थना पत्र झुठे मनगढ़त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थना पुत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ.भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नही किया है जिससे उसके मौखिक कथनों की ताईद होती हो। प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश करने का मकसद प्रकरण को अनावश्यक देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काविल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर